

Regarding need to halt the resettlement of poor people near Ramganga River till the time of mutual consent

श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : माननीय सभापति महोदया जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ ।

मैं मुरादाबाद लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आई हूँ । मेरे संसदीय क्षेत्र का काफी हिस्सा रामगंगा नदी के आसपास बसा है । कई कॉलोनियां जैसे चक्कर की मिलक, बंगला गांव, नवाबपुरा, लालबाग, बरवलान, वासीनगर, परंपरा आदि में कई लाख लोग निवास करते हैं, जमीनें बेनामशुदा हैं और नगर निगम के अंतर्गत आती हैं । ये इलाके मूलभूत सरकारी सुविधाओं से आच्छादित हैं । यहां सड़क, पानी, लाइट, स्कूल, सरकारी भवन यहां तक कि मंदिर और मस्जिद भी हैं । ये लोग हाउस टैक्स और बिजली का बिल भरते हैं । नगर निगम के मतदाता भी हैं और यहां से पार्षद भी चुने जाते हैं ।

अभी कुछ दिन पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा केवल गरीब बस्तियों को खाली कराने का नोटिस दिया गया है, जबकि इसी परिधि में कई बड़ी पॉश कॉलोनियां भी आती हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ सभी छोटे और बड़ों के साथ सामान्य व्यवहार हो ।? (व्यवधान)

मैं पहली बार बोल रही हूँ, मुझे एक मिनट बोलने का समय दें । मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि छोटे-बड़े का भेदभाव किए बिना और बिना आपसी सहमति के पुनर्वास की अग्रिम कार्रवाई न की जाए क्योंकि हजारों परिवारों के जीवन-मरण का सवाल है ।

13.00 hrs

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, this is the practice and rule of the Parliament that when the Parliament Session will be going on, the Ministers will not make any statement outside the Parliament. But unfortunately, one of the Ministers, Shri Sukanta Majumdar, the MoS, has made the statement outside the Parliament that the North Bengal will be divided, and North Bengal will be taken to another State. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, यह विषय पूर्व में भी आ चुका है, धन्यवाद ।

? (व्यवधान)